प्रेस नोट इटावा पुलिस - दिनांक 18.04.2024

#ऑपरेशन त्रिनेत्र

- **इटावा पुलिस द्वारा 01 गुमशुदा व्यक्ति को किया गया सकुशल बरामद।**
- **लोगों से पैसे उधार लेकर फर्जी अभियोग पंजीकृत कराने वाले दम्पत्ति को इटावा पुलिस द्वारा किया गया बरामद**
- **दम्पत्ती ने षडयन्त्र के तहत सास-ससुर व जेठ को फँसाने के लिये दर्ज कराया था अभियोग।**
- **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 14.09.2022 को माननीय न्यायालय के आदेश पर वादिनी रंजना सोनी के पति राजीव सोनी पुत्र कमल सिंह निवासी रामगंज ढाल थाना कोतवाली, इटावा अचानक बिना बताये कहीं चले गये थे, रिश्तेदारियों व्यवहारियों एवं आस-पास तलाश किया, परन्तु नही मिलने के संबंध मे एवं सास ससुर एवं जेठ द्वारा वादिनी के पति का अपहरण करने एवं प्रार्थिनी के साथ मारपीट व गाली-गलौज करने के सम्बन्ध में **थाना कोतवाली पर अभियोग मु0अ0सं0 281/22 धारा 364/323/504 भादवि पंजीकृत कराया गया।**

उक्त लापता व्यक्ति की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा संभावित स्थानों पर तलाश की गयी, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किये गये। पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत प्रदेश भर लगाये गये सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गयी तथा इलैक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्य एकत्रित किये गये। दौराने विवेचना यह तथ्य प्रकाश में आये कि राजीव सोनी उपरोक्त द्वारा अपने आस-पास के लोगों से पैसे उधार लिये गये एवं जिन्हें वापस नहीं कर पा रहा था एवं उसका अपने माता-पिता एवं भाई से पारिवारिक विवाद चल रहा था इसी के उद्देश्य से उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर षंडयन्त्र के तहत माननीय न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली पर फर्जी अभियोग दर्ज कराया है।

इसी क्रम मे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा लापता राजीव सोनी उपरोक्त को महिपालपुर, थाना बसन्तपुर उत्तर, नई दिल्ली से सकुशल बरामद कर आज दिनांक 18.04.2024 को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

बरामद व्यक्ति:-

राजीव सोनी पुत्र कमल सिंह निवासी रामगंज ढाल थाना कोतवाली इटावा जनपद इटावा उम्र 38 वर्ष।

पुलिस टीम:- निरी0 श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली इटावा, नि0 भोला प्रसाद रस्तौगी, का0 रंजीत कुमार।

नोट:- उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इटावा पुलिस द्वारा सभी से अपील की जाती है कि निर्दोष व्यक्तियों को फँसाने के उद्देश्य से फर्जी अभियोग पंजीकृत न करायें ऐसा करने पर आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।